



बिहार सरकार  
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग  
(पशुपालन निदेशालय)



# बकरी फार्म

## स्थापित करने का सुनहरा अवसर



वांछित भूमि का साक्ष्य

अद्यतन लगान रसीद / एल0पी0सी0, लीज एकरारनामा, नजरी नक्शा

वांछित राशि का साक्ष्य

पासबुक, एफ0डी0, अन्य (प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि अंकित हो)

प्रशिक्षण

सरकारी संस्थानों से बकरी पालन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति

जाति प्रमाण पत्र

अन्य

फोटो, आधार, वोटर आई0डी0, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र (हाइड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन की स्थिति में)

**प्राथमिकताएँ—** लाभुकों का चयन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा। लाभुक के चयन में स्वलागत से बकरी फार्म स्थापित करने तथा बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

**ऋण / स्वलागत—** आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से बकरी फार्म स्थापित कर सकते हैं। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी।

अनुदान की राशि वयनित लाभुकों को दोनों स्थिति में देय होगा।



## चारा भूमि पर चारा उत्पादन की स्थिति में

| क्र. | कोटि                            | बकरी फार्म की क्षमता | इकाई लागत में (लाख रुपये) | आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (रुपये में) |          | अनुदान               |                               | भूमि की आवश्यकता   |                   |
|------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
|      |                                 |                      |                           | स्वलागत                                           | बैंक ऋण  | इकाई लागत का प्रतिशत | अधिकतम अनुदान (लाख रुपये में) | फार्म निर्माण हेतु | चारा उत्पादन हेतु |
| 1    | सामान्य जाति                    | 20 बकरी + 01 बकरा    | 2.42                      | 72,000                                            | 24,000   | 50                   | 1.21                          | 1,800 वर्गफीट      | —                 |
|      |                                 | 40 बकरी + 02 बकरा    | 5.32                      | 1,59,000                                          | 53,000   | 50                   | 2.66                          | 3,600 वर्गफीट      | 50 डिसमिल         |
|      |                                 | 100 बकरी + 05 बकरा   | 13.04                     | 3,91,000                                          | 1,30,000 | 50                   | 6.52                          | 9,000 वर्गफीट      | 100 डिसमिल        |
|      |                                 | 500 बकरी + 25 बकरा   | 65.20                     | 19,50,000                                         | 6,50,000 | 50                   | 32.60                         | 45,000 वर्गफीट     | 500 डिसमिल        |
| 2    | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति | 20 बकरी + 01 बकरा    | 2.42                      | 58,000                                            | 24,000   | 60                   | 1.45                          | 1,800 वर्गफीट      | —                 |
|      |                                 | 40 बकरी + 02 बकरा    | 5.32                      | 1,27,000                                          | 53,000   | 60                   | 3.19                          | 3,600 वर्गफीट      | 50 डिसमिल         |
|      |                                 | 100 बकरी + 05 बकरा   | 13.04                     | 3,12,000                                          | 1,30,000 | 60                   | 7.82                          | 9,000 वर्गफीट      | 100 डिसमिल        |

## हाइड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन की स्थिति में

| क्र. | कोटि                            | बकरी फार्म की क्षमता | इकाई लागत में (लाख रुपये) | आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (रुपये में) |          | अनुदान               |                               | भूमि की आवश्यकता   |                       |
|------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|      |                                 |                      |                           | स्वलागत                                           | बैंक ऋण  | इकाई लागत का प्रतिशत | अधिकतम अनुदान (लाख रुपये में) | फार्म निर्माण हेतु | हरा चारा उत्पादन हेतु |
| 1    | सामान्य जाति                    | 100 बकरी + 05 बकरा   | 17.21                     | 3,91,000                                          | 1,30,000 | 50                   | 8.605                         | 9000 वर्गफीट       | 500 वर्गफीट           |
|      |                                 | 500 बकरी + 25 बकरा   | 80.17                     | 19,50,000                                         | 6,50,000 | 50                   | 40.085                        | 45000 वर्गफीट      | 2500 वर्गफीट          |
| 2    | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति | 100 बकरी + 05 बकरा   | 17.21                     | 3,12,000                                          | 1,30,000 | 60                   | 10.326                        | 9000 वर्गफीट       | 500 वर्गफीट           |

**आवेदन:** विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त ऑनलाईन लिंक खुलने के पश्चात 21 दिनों तक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जा सकता है। इच्छुक किसान / उद्यमी / बकरी पालक इस योजना हेतु विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html> पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या / वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। विस्तृत निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html> से डाउनलोड किया जा सकता है।